

नाबालिंग छात्रा से छेड़छाड़ के आरोपी अध्यापक को सात साल की सजा

न्यायालय ने टिप्पणी करते हुए लिखा कि आरोपी अध्यापक ने गुरु-शिष्य के पवित्र संबंध को कलंकित किया है।

अजमेर, (कासं)। पॉक्सो कोर्ट ने 10 साल की नाबालिंग छात्रा से छेड़छाड़ के आरोपी अध्यापक को सात साल की सजा सुनाई है। आरोपी टीचर पर 55 हजार का जुर्माना भी लगाया है।

न्यायालय ने टिप्पणी करते हुए लिखा कि आरोपी अध्यापक ने गुरु-शिष्य के पवित्र संबंध को कलंकित किया है।

- पॉक्सो कोर्ट ने आरोपी टीचर पर 55 हजार का जुर्माना भी लगाया है।
- अभियोजन पक्ष की ओर से कोर्ट में 11 गवाह और 32 दस्तावेज पेश किए गए।

का रूप अपना जाता है, तो उसमें में अभियोजन पक्ष की ओर से 11 परिजन अपनी बचियों को शिक्षा के मंदिर में भेजने से संकेच करने लगे। इसे अपराध के विरुद्ध नरमी का रुख अपनाया जाना न्याय का उन्नत प्रतीत नहीं होता। अंत कठोर दंड से दंडित किया जाए।

सरकारी बकली रूपेंद्र परिहार ने बताया कि जिला व्यावर के मसूदा था ने संवेदनशील होता है। शिक्षक जो एक गुरु है, अपने भावान से कोई दर्जा-दिया जाता है। जिसके बावर को माता-पिता बहुत ही विश्वास के साथ राजस्थान में पढ़ने के बेचे हैं। ताकि उनका बच्चा अच्छे संस्कार अपने गुरु से सीख सके, ऐसे गुरु शिष्य के पावन संबंध को अधियुक्त ने कलंकित किया है। माता-पिता के विश्वास को तोड़ा है, यदि ननी

हत्या के पांच साल पुराने मामले में आरोपी को आजीवन कारावास

झुंझुनूं, (निसं)। एससी/एसटी कोर्ट ने एक पांच साल पुराने मामले में एक आरोपी को आजीवन कारावास तो शेष चार आरोपियों को तीन-तीन माह के कारावास के साथ अर्थदंड की सजा सुनाई है।

विशिष्ट लाक अभियोजक एडवोकेट निवोद वर्मा ने बताया कि उदयपुरवाटी थाने में श्रीमाधेषुपु के जयपुरपुरा निवासी मोतीराम मीणा ने थाने में मामला दर्ज करवाया था कि उसका बटा सचिव अपने दोस्तों के साथ कोट बांध घूमने आया, जहां पर रामावतार गुर्जर की दुकान थी। सचिव ने पहाड़ी मारी तो रामावतार गुर्जर ने उसे ठंडी पकड़ी दी जाही। ठंडी पकड़ी को लेकर विवाद हो गया था, जिसमें मारपीट में एक युवक की मौत हो गई थी।

जाना है, पहुंचने पर उसने अपने साथ ने पॉक्सो एक्ट सहित विभिन्न धाराओं में मुकदमा दर्ज कर आरोपी शिक्षक को

शेष चार आरोपियों को तीन-तीन माह के कारावास के साथ अर्थदंड की सजा सुनाई।

ठंडी पकड़ी दीने को लेकर अगस्त 2019 में विवाद हो गया था, जिसमें मारपीट में एक युवक की मौत हो गई थी।

सचिव की मौके पर गैरू हो गई।

गैरू तन कोट निवासी मोहनलाल, रत्नलाल, फूलचंद और पिंटु गुर्जर को गिरफ्तार किया।

इसके बाद न्यायालय में चालान पेश किया गया। मामले में 18 गवाह प्रस्तुत किए गए। वहीं दोनों पक्षों की ओर से कुल 40 साक्षी प्रस्तुत किए। इनमें से मैके के पांच चरमदीव गवाहों के बगानों को महत्वपूर्ण मानते हुए और दोनों पक्षों को बहस सुनने के बाद एससी/एसटी कोट की विशिष्ट न्यायाली सरिता नैशाद ने पिंटु गुर्जर को हत्या की दोषी मानते हुए उसे आजीवन कारावास की सजा और 50 हजार रुपए के जुर्माने से दंडित किया। वहीं फूलचंद, रत्नलाल, मोहनलाल तथा रामावतार को थी तीन-तीन माह की सजा सुनाते हुए अर्थदंड से दंडित किया गया।

विवासी की जोगीयी मामले में पूर्व में फरार चल रहे तो सीधे शरित ठग रायवाह नगर विवासी गोरांग निवासी मनिनदर सिंह को गिरफ्तार किया। पिंटु गवाहों के बाद नेट बैंकिंग के माध्यम से फरियादी के खाते से अजात व्यक्तियों से थोड़ाधड़ी पूछाली की जोगीयी मामले में पूर्व में दो आरोपी हनुमानगढ़ रोड निवासी दर्ज कर आरोपियों के लिए दार्शन दिलाई गयी। और वूर्धे में दो आरोपी ने नेट बैंकिंग के लिए दार्शन दिलाई गयी। जिसके बाद फरार चल रहे तो सीधे शरित ठग रायवाह नगर विवासी गोरांग निवासी मनिनदर (18) को गिरफ्तार किया गया।

यह था मामला :- फरियादी प्रतीक ने 22 अगस्त को साइबर थाना

प्रियों को

जाना है, पहुंचने पर उसने अपने साथ

पॉक्सो एक्ट के बावर आरोपी को गिरफ्तार किया। आरोपी के खिलाफ आरोप पत्र भी पेश किया गया।

हाईकोर्ट ने विशेष योग्यजन प्रबोधक के समायोजन आदेश पर रोक लगाई

जोधपुर, (कासं)। बीकानेर निवासी मोहनलाल ओड की रिट याचिका को अंतिम रूप से ग्राह्य करते हुए राजस्थान उच्च न्यायालय ने उके के साथ राजस्थान के समायोजन आदेश पर अंतिम रोक लगाई है।

बीकानेर निवासी मोहन राम ओड जो 60 प्रतिशत से अधिक दिव्यांग कार्यकारी है और विवादान में वह महामाला विवादी राजस्थान के उके के साथ विवादान वेलदारों को बास, कोटड़ी जिला बीकानेर में सांस्कारिक के पद पर कार्यरत है।

विवादी जिला बीकानेर के अधिकारी ने इसके बावर आरोपी के अधिकारी के एक विवाद के पद पर उनकी नियुक्ति की आदेश पर अंतिम रोक लगाई है। इसके बावर आरोपी को बीकानेर निवासी को आदेश पर अंतिम रोक लगाया गया है।

विवादी जिला बीकानेर के अधिकारी को आदेश पर अंतिम रोक लगाया गया है।

बीकानेर निवासी मोहन राम ओड जो 60 प्रतिशत से अधिक दिव्यांग कार्यकारी है और विवादान में वह महामाला विवादी राजस्थान के उके के साथ विवादान वेलदारों को बास, कोटड़ी जिला बीकानेर में सांस्कारिक के पद पर कार्यरत है।

विवादी जिला बीकानेर के अधिकारी को आदेश पर अंतिम रोक लगाया गया है।

बीकानेर निवासी मोहन राम ओड जो 60 प्रतिशत से अधिक दिव्यांग कार्यकारी है और विवादान में वह महामाला विवादी राजस्थान के उके के साथ विवादान वेलदारों को बास, कोटड़ी जिला बीकानेर में सांस्कारिक के पद पर कार्यरत है।

विवादी जिला बीकानेर के अधिकारी को आदेश पर अंतिम रोक लगाया गया है।

बीकानेर निवासी मोहन राम ओड जो 60 प्रतिशत से अधिक दिव्यांग कार्यकारी है और विवादान में वह महामाला विवादी राजस्थान के उके के साथ विवादान वेलदारों को बास, कोटड़ी जिला बीकानेर में सांस्कारिक के पद पर कार्यरत है।

विवादी जिला बीकानेर के अधिकारी को आदेश पर अंतिम रोक लगाया गया है।

बीकानेर निवासी मोहन राम ओड जो 60 प्रतिशत से अधिक दिव्यांग कार्यकारी है और विवादान में वह महामाला विवादी राजस्थान के उके के साथ विवादान वेलदारों को बास, कोटड़ी जिला बीकानेर में सांस्कारिक के पद पर कार्यरत है।

विवादी जिला बीकानेर के अधिकारी को आदेश पर अंतिम रोक लगाया गया है।

बीकानेर निवासी मोहन राम ओड जो 60 प्रतिशत से अधिक दिव्यांग कार्यकारी है और विवादान में वह महामाला विवादी राजस्थान के उके के साथ विवादान वेलदारों को बास, कोटड़ी जिला बीकानेर में सांस्कारिक के पद पर कार्यरत है।

विवादी जिला बीकानेर के अधिकारी को आदेश पर अंतिम रोक लगाया गया है।

बीकानेर निवासी मोहन राम ओड जो 60 प्रतिशत से अधिक दिव्यांग कार्यकारी है और विवादान में वह महामाला विवादी राजस्थान के उके के साथ विवादान वेलदारों को बास, कोटड़ी जिला बीकानेर में सांस्कारिक के पद पर कार्यरत है।

विवादी जिला बीकानेर के अधिकारी को आदेश पर अंतिम रोक लगाया गया है।

बीकानेर निवासी मोहन राम ओड जो 60 प्रतिशत से अधिक दिव्यांग कार्यकारी है और विवादान में वह महामाला विवादी राजस्थान के उके के साथ विवादान वेलदारों को बास, कोटड़ी जिला बीकानेर में सांस्कारिक के पद पर कार्यरत है।

विवादी जिला बीकानेर के अधिकारी को आदेश पर अंतिम रोक लगाया गया है।

बीकानेर निवासी मोहन राम ओड जो 60 प्रतिशत से अधिक दिव्यांग कार्यकारी है और विवादान में वह महामाला विवादी राजस्थान के उके के साथ विवादान वेलदारों को बास, कोटड़ी जिला बीकानेर में सांस्कारिक के पद पर कार्यरत है।

विवादी जिला बीकानेर के अधिकारी को आदेश पर अंतिम रोक लगाया गया है।

बीकानेर निवासी मोहन राम ओड जो 60 प्रतिशत से अधिक दिव्यांग कार्यकारी है और विवादान में वह महामाला विवादी राजस्थान के उके के साथ विवादान वेलदारों को बास, कोटड़ी जिला बीकानेर में सांस्कारिक के पद पर कार्यरत है।

विवादी जिला बीकानेर के अधिकारी को आदेश पर अंतिम रोक लगाया गया है।

बीकानेर निवासी मोहन राम ओड जो 60 प्रतिशत से अधिक दिव्यांग कार्यकारी है और विवाद